




05.03.2024:-आज पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। मूल वाद-पत्र राजीनाम अनुसार खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कमिश्नर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम





2/2/24



1. दयाराम पुत्र दुलाराम जाति जाट
जिला श्रीगंगानगर।
2. शिवप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति जाट
जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. दुलाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट
4 एम.एल., श्रीगंगानगर, तहसील
2. देवीलाल पुत्र दुलाराम जाति जाट
चक 4 एम.एल., श्रीगंगानगर, तहसील
3. जोतराम पुत्र दुलाराम जाति जाट
जिला श्रीगंगानगर।
4. साहबराम पुत्र दुलाराम जाति जाट
मोहनगढ़ जिला जैसलमेर।
5. रामकुमार (पुत्र रुकमादेवी पुत्री
निवासी चक 15 एसजीआर, तहसील
6.  (पुत्र रुकमादेवी पुत्री
निवासी चक 15 एसजीआर, तहसील
7. महेन्द्र (पुत्र रुकमादेवी पुत्री
निवासी चक 15 एसजीआर, तहसील

